of strengthening the Proctorial System existing in these Universities to meet such situations has been under discussion for some time. A meeting of the Committee of Vice-Chancellors considered these matters on 21st October, 1983. The Committee decided to constitute a Sub-Committee to go into the question in depth and make specific recommendations. The Sub-Committee is yet to submit its report.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनायें

522. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों, सड़कों और सिंचाई हेतु छोटे तालाबों का निर्माण करती है ;

(ख) यदि हां, तो 1981-82 और 1982 से 1983 के दौरान विभिन्न राज्यों में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनायें प्रस्तावित हैं जो अभी भी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि नाथ मिश्र): (क) जी हां । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यतया किसी भी स्थायी स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण शुरू किया जा सकता है ।

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के स्तर पर तैयार किया जाता है, उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है तथा अनुमोदित किया जाता है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माणकार्य

क्र० सं०	निर्माण कार्यों की मदें	यूनिट	1981-82	1982-83
1	सरकारी भूमि पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र	(हैक्टेयर)	1,03,319	97,906

क्र० सं०	निर्माण कार्यों की मदें	यूनिट	1981–82	1982–83
2	निर्मित पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, सामुहिक आवास तथा भूमि विकास आदि	(संख्या)	90,423	1,57,677
3	निर्मित गांव के तालाब	(संख्या)	13,709	14,226
4	लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से लाभांवित क्षेत्र जिनमें वे निर्माण कार्य भी शामिल हैं जो बाढ़ सुरक्षा, जल निकासी तथा जललग्नता निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में मध्यवर्त्ती तथा मुख्य नालियों, खेत की नालियों का निर्माण और भूमि समतलीकरण	(हैक्टेयर)	1,05,640	1,10,35[illegible]
5	भू तथा जल संरक्षण और भूमि को कृषि योग्य बनाने के माध्यम से लाभांवित क्षेत्र	(हैक्टेयर)	1,36,971	37,82[illegible]
6	निर्मित/सुधारी गई ग्रामीण सड़कें	(कि०मी०)	69,284	1,01,94[illegible]
7	स्कूल तथा बालवाड़ी भवन, पंचायतघर, सामुदायिक केन्द्र, जंगली जानवरों के लिए पेय जल स्रोत, पशुओं के लिए जोहड़, पिंजरापोल, गौशाला, सामुदायिक मुर्गीपालन, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेटफार्म आदि	(संख्या)	21,302	74,474
8	अन्य निर्माण कार्य	(संख्या)	7,600	14,816